

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

₹ 10

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

14AA 343910

[Handwritten signature]

दस्तावेज का...

[Handwritten signature]

VINOD BHATT
Advocate
Distt. Court, Bagpat

शिकायत

मैं कि दलोकचिंद्र जोशी रु 42000 युक्तवा
दिल्ली में जोशी का रिजोको रिजो कामेश्वर
यह शिकायत कि 3 म् 9 जुन 2012 है.

(1) जो शिकायत न पल 26 (विश 4र) में
लिखित सकी बातों का एक होना नही
किम 4 दिने में मोई का दिनाई नही
किम बातें न शिकायत सोचने

[Handwritten signature]
एड

मैं शिकायत अर्थात् इन शिकायत में
लिख होना नही कल है

[Handwritten signature]
एड

[Handwritten signature]
दिना 9/1/12



46 कपकोर निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं हर गोविन्द जामा पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. श्री विष्णु देन जामा आयु 42 वर्ष, जो ग्राम- हिरसोली का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिक्षा करता हूँ/क़रती हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/क़रती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

(यदि अभिशासी ऐसे किसी अपराध/अपराधों का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी।)

- मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....X
- पुलिस थाना (थाने).....X जिला (जिले).....X राज्य.....X
- संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....X
- न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....X
- तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गए थे.....X
- क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.....X

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....X
- न्यायालय, जिसने दंडित किया है.....X
- पुलिस थाना (थाने).....X जिला (जिले).....X राज्य.....X
- संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....X
- तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....X
- क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है.....X

स्थान- कपकोर
तारीख- 9/11/12



हर गोविन्द जामा
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

am 11/12

सत्यापन


मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

कपकोर

स्थान पर आज तारीख

9/1/2012

को सत्यापित किया।



अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्ररूप के दो स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

am 11/12